

25/12/24
रकरका 2

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, जिला-जोधपुर
व इजलास-मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

प्रार्थी सुजा राम बनाम अप्रार्थी रकरका 2

किस्म मुकदमा 136 एल.आर. एक्ट

प्रकरण संख्या :- 99 / 2024

--आदेश-- दिनांक :-

रकारका

प्रार्थी सुजा राम पुत्र श्री किसाना राम
जाति मेघवाल निवासी हरियाड़ा तहसील बिलाड़ा,
जिला जोधपुर, राज. ने एक प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रेकॉर्ड में नाम
दुरुस्ती का पेश किया है। प्रार्थना पत्र को जाँच हेतु तहसीलदार बिलाड़ा
को भेजा जावे।

तहसीलदार बिलाड़ा से जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें
तहसीलदार बिलाड़ा ने अवगत करवाया है कि ग्राम हरियाड़ा की
जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 के खाता सं. 169 में दर्ज अशुद्ध
नाम राजू राम पुत्र किसाना राम जाति मेघवाल
निवासी हरियाड़ा का शुद्ध नाम सुजा राम
पुत्र किसाना राम जाति मेघवाल निवासी हरियाड़ा की राजस्व रेकॉर्ड
में शुद्ध किये जाने हेतु सहमत है। अतः जाँच रिपोर्ट व पत्रावली का
अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट का
स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Woh
उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा